संख्या-24/2026/66/60-1-2026
(सी-1985630) (पार्ट-1)

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 23 अप्रैल, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केन्द्र पुरोनिधानित योजना मिशन वात्सल्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-34/निदे0म0क0/प्रोबे0/लेखा-बजट-वि.स्वी.-21/जी.आई.ए./2026-27, दिनांक 13.04.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में केन्द्र पुरोनिधानित मिशन वात्सल्य योजना (के0.60+रा0.40) की विभिन्न उप योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी Mother Sanction की धनराशि रू0 4,41,91,000/- तथा संगत राज्यांश की धनराशि रू0 2,94,60,667/- अर्थात कुल (के0.+रा0.) की धनराशि रू0 7,36,51,667/- (रुपये सात करोड़ छत्तीस लाख इक्यावन हजार छः सौ सड़सठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये निदेशक, महिला कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक **28.03.2026** एवं 26.09.2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा।

(3) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) योजनान्तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने के संबंध में प्रशासकीय विभाग स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

(9) योजनान्तर्गत निर्गत धनराशि का भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश से समायोजित किये जाने का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2235021020106 (बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+रा.)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	07 मानदेय	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
2	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	8,93,700 (रुपये आठ लाख तिरानबे हजार सात सौ मात्र)
	कुल			1,58,93,700 (रुपये एक करोड़ अट्ठावन लाख तिरानबे हजार सात सौ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020110 (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.+रा.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	26,00,000 (रुपये छब्बीस लाख मात्र)
2	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.+रा.)	20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
	कुल			51,00,000 (रुपये इक्यावन लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020112 (विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	47,66,400 (रुपये सैंतालीस लाख छियासठ हजार चार सौ मात्र)
2	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,33,45,920 (रुपये एक करोड़ तैंतीस लाख पैंतालीस हजार नौ सौ बीस मात्र)
	कुल			1,81,12,320 (रुपये एक करोड़ इक्यासी लाख बारह हजार तीन सौ बीस मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020114 (किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020114 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन (के.60/रा.40-के.+ रा.)	61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
	कुल			40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020115 (बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	60,50,918 (रुपये साठ लाख पचास हजार नौ सौ अठारह मात्र)
2	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,30,41,497 (रुपये एक करोड़ तीस लाख इकतालीस हजार चार सौ सत्तानबे मात्र)
	कुल			1,90,92,415 (रुपये एक करोड़ नब्बे लाख बानबे हजार चार सौ पन्द्रह मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020117 (स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक/बालिका) का संचालन (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	049	2235021020117 स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक/बालिका) का संचालन (के.60/रा.40-के.+ रा.)	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	26,00,000 (रुपये छब्बीस लाख मात्र)
	कुल			26,00,000 (रुपये छब्बीस लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020121 (दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020121 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के.60/रा.40-के.+ रा.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
	कुल			1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020122 (किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020122 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	87,53,232 (रुपये सत्तासी लाख तिरेपन हजार दो सौ बत्तीस मात्र)
	कुल			87,53,232 (रुपये सत्तासी लाख तिरेपन हजार दो सौ बत्तीस मात्र)
महायोग				7,36,51,667 (रुपये सात करोड़ छत्तीस लाख इक्यावन हजार छह सौ सड़सठ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-4-2-X-2026-27, दिनांक 22.04.2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।